

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)


क्रमांक/रीडर/2025/3598

दिनांक 06/11/2025

उपरोक्त प्रकरण- रामकुमार बनाम भूमिधारी तहसीलदार
 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट, 1956
 मुकदमा संख्या- 146 /2025

:- दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 13 /भूअ./2025 दिनांक 15/09/2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा -136 के अन्तर्गत भिजवाये गये राजस्व ग्राम उशवाली पटवारी हल्का गऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के भूमि खाता संख्या 218 में खातेदार रामकुमार पुत्र बिहारी जाति गुर्जर के स्थान पर रामकुमार पुत्र बिहारी जाति गुर्जर का नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं। पटवारी हल्का गऊ उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।


 उपखण्ड अधिकारी
 श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक/रीडर/2025/3599-600

दिनांक 06/11/2025

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
2. पटवारी हल्का गऊ तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।


 उपखण्ड अधिकारी
 श्रीमाधोपुर (सीकर)

